IJAER/January-Feburary 2015 /Volume-4/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

महिला सशक्तिकरण पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुपम योगदान

Dr. Kalpana Bharadwaj

Lecturer in Political Science.

Govt PG College Sawai Madhopur Rajasthan

सार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर महिलाओं और दबे-कुचले लोगों के सम्मान के लिए एक योद्धा थे और उन्हें मानवाधिकारों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। सामाजिक न्याय के अग्रदूत होने के नाते उन्होंने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। उनके अनुसार, जाति, पंथ, लिंग *और धर्म के बावजूद सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने स्त्री की मुक्ति और उनके अधिकारों के लिए काम शुरू किया। उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना था। उन्होंने भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को महसूस किया और उन्हें आधुनिक समाज में शामिल करने के लिए आवाज उठाई। डॉ अंबेडकर ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने और उत्थान के लिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान प्रदान करके महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया है। यह पेपर महिला सशक्तिकरण के प्रति डॉ.* बी.आर. अम्बेडकर के *विचारोंऔर धारणाओं पर केंद्रित है। यह पेपर समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति की मुक्ति में एक विचारक और समाज सुधारक के रूप में डॉ.* बीआर अंबेडकर के योगदान का भी विश्लेषण करता है।

कीवर्ड- अधिकार, जागरूकता, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण।

परिचय

"हम जल्द ही बेहतर दिन देखेंगे और अगर पुरुष शिक्षा को महिला शिक्षा के साथ-साथ राजी किया जाए तो हमारी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी।" – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सशक्तिकरण का तात्पर्य व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वायत्तता और उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार दोनों ही अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंत है और सतत मानव विकास की उपलब्धि के लिए आवश्यक है।

संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा निभाईगई भूमिका ने स्वतंत्रता के बाद देश के सामाजिक पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, और आज भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को आकार दिया है। संभावना में यह एक अलग भारत होता, उसके बिना कहीं अधिक असमान और अन्यायपूर्ण। उन्होंने भारत की नैतिक और सामाजिक नींव को एक नया बनाने का प्रयास किया और संवैधानिक लोकतंत्र के एक राजनीतिक आदेश के लिए कड़ी मेहनत की जो कि वंचितों के प्रति संवेदनशील है, अतीत से विरासत में मिला है या प्रचलित सामाजिक संबंधों से उत्पन्न हुआ है। डॉ. अम्बेडकर के पास अपने समय के एक भारतीय के लिए उच्चतम शैक्षणिक योग्यता थी, और उनके ज्ञान और विद्वता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। यह सभी जानते हैं कि डॉ. बीआर अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। लेकिन उनके कार्यों और भारत के प्रति उनकी दृष्टि पर कुछ किताबें पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास एक बहुमुखी प्रतिभा है क्योंकि वे एक गंभीर विद्वान, अच्छे शिक्षक, कुशल वकील, समर्पित नेता, प्रतिबद्ध लेखक, प्रतिष्ठित शिक्षाविद, सामाजिक विद्रोही, शक्तिशाली विवादकर्ता। वह एक आधिकारिक संवैधानिक, एक सक्षम प्रशासक, उदार मुक्तिदाता, मास्टर राजनेता, दलित जनता के साहसी मुक्तिदाता और मानवाधिकारों के लिए एक निडर सेनानी थे।

डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू में हुआ था , जो तत्कालीन मध्य प्रांत भारत के सैन्य छावनी का शहर था। उनके पिता, रामजी सकपालमालोजी सेना में सूबेदार थीं और उनकी माता भीमाबाईसकपाल गृहिणी थी। बाबासाहेब निचली जाति कहे जाने वाले महार से संबंधित थे, जिन्हें ' अछूत' माना जाता था । लेकिन उनके पिता एक सेना अधिकारी थे, जो समाज के कई प्रतिरोधों के बावजूद अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने में सक्षम थे। अम्बेडकर को स्कूल में अन्य दलित बच्चों के साथ 'अछूत' माना जाता था। उन्हें अन्य तथाकथित उच्च जाति के बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपने पानी के बर्तन से पानी पीने की अनुमति थी। अम्बेडकर पढ़ाई में बहुत मेधावी थे और बॉम्बे में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्नातक अध्ययन और शोध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए; कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से स्नातक और डॉक्टरेट किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की और वहीं से मास्टर और डॉक्टरेट भी पूरा किया।

2. उद्देश्य, तरीके और सामग्री

1. प्रस्तुत शोध पत्र डॉ. अम्बेडकर के विचारों को उजागर करने का एक प्रयास है और स्वतंत्र भारत के पूर्व और बाद में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है और भारत के वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में उनके विचारों की प्रासंगिकता है।

2. समाचार पत्रों , प्रकाशित पत्रों और पुस्तकों से एकत्र किया गया है ।

3. विश्लेषण और चर्चा

लैंगिक समानता, लैंगिक मुख्य स्ट्रीमिंग, नेटवर्किंग, नेतृत्व और वित्तीय स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण के आवश्यक पहलू हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अपने समय में इसे महसूस किया और सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया में शामिल किया। महिलाओं के बारे में डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से लिंगों की समानता संविधान द्वारा दृढ़ता से समर्थित है। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में इसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। उन्होंने सामाजिक न्याय की नींव रखी और लैंगिक समानता के बिना कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। 'कास्ट्स इन इंडिया: देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट' पर अपने पेपर में, डॉ. अम्बेडकर ने वर्णन किया कि किस तरह सती, जबरन वैधव्य और बालिका विवाह के माध्यम से महिलाओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था ताकि एक जाति में सख्त सगोत्रता को बनाए रखा जा सके। उनके द्वारा हिंदू धर्म के साथ-साथ मुस्लिम समाज में महिलाओं के संबंध में सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला गया। एक शोधकर्ता के रूप में, डॉ. अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर दोनों धर्मों में (और अन्य धर्मों में भी) महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया और उन्हें अधिकारों से वंचित करने और अंततः व्यक्ति की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर पर्दा प्रथा के परिणाम यह थे कि यह उन्हें मानसिक और नैतिक पोषण से वंचित करती है। डॉ. अम्बेडकर ने मांग की कि बौद्ध धर्म महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देता है और महिलाओं को आध्यात्मिकता प्राप्त करने में सक्षम मानता है। बौद्ध धर्म अपनाकर, डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं सहित केवल वंचित वर्गों के लिए निष्कासित किया और सम्मानजनक समान स्थिति को स्वीकार किया। डॉ अंबेडकर ने हिंदू देवी-देवताओं की पूजा से इनकार किया, अंततः महिलाओं को अमानवीय रीति-रिवाजों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त किया और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

3.1 महिलाओं के लिए शिक्षा: अम्बेडकर का दृष्टिकोण

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह देखना है कि प्रत्येक बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय के पोर्टल में प्रवेश करता है, उसे केवल उस अवस्था में छोड़ता है जब वह साक्षर हो जाता है और जीवन भर साक्षर बना रहता है। - डॉ बी आर अम्बेडकरकी

सशक्तिकरणकीअवधारणासेतात्पर्यव्यक्तियों, समुदायों को मुख्य धारा- समाज का हिस्सा बनाने के लिए क्षमताओं का विकास और निर्माण करती है। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा समाज उत्पीड़न से लोकतांत्रिक भागीदारी और भागीदारी के लिए विकसित होता है। यह व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।

अम्बेडकर ने ज्ञान के दो उद्देश्यों की पहचान की: पहला, दूसरों की भलाई के लिए इसे हासिल करना और दूसरा खुद की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करना। अम्बेडकर ने पेशेवर शिक्षा (ब्रिटिश शैक्षिक प्रणाली) के खिलाफ भी तर्क दिया है जिसका उद्देश्य श्रमिकों की एक लिपिकीय प्रकृति का निर्माण करना है। अम्बेडकर ने सामाजिक मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया।

शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य दलित वर्गों को प्रबुद्ध करना है ताकि उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के कारण को बढ़ाया जा सके। अम्बेडकर के सामाजिक और नैतिक दर्शन का उद्देश्य निराश लोगों को अपने विचारों और पुराने व्यवहार -पद्धतियों को बदलने और शिक्षा के माध्यम से एकता और स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना था। शिक्षा के उनके दर्शन का मूल विषय सभी धर्म, क्षेत्र, वर्ग और जाति के लड़के और लड़कियों के बीच स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और नैतिक चरित्र के मूल्यों को विकसित करना था।

अम्बेडकर ने इन तीन घटकों को नीति निर्माताओं के उद्देश्यों के रूप में सूचीबद्ध किया:

1. शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पुनर्गठित करना,

2. वास्तविक समानता के साधन के रूप में शिक्षा,

3. महिला शिक्षा (वेलास्कर , 2012)।

डॉ अंबेडकर शिक्षा को महिलाओं की मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्हें निचली जातियों के साथ शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। उनके भाषणों से जाहिर होता है कि उन्हें महिला सशक्तिकरण की बड़ी चिंता थी। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,

मैं महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की मात्रा से समुदाय की प्रगति को मापता हूं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साफ रहना सीखो; सभी दोषों से मुक्त रहो। अपने बच्चों को शिक्षा दें। उनमें महत्वाकांक्षा जगाएं । उनके मन में यह बिठाओ कि महान बनना उनकी नियति में है। उनमें से सभी हीनभावनाओं को दूर करो।

इस तरह डॉ अम्बेडकर ने महिलाओं और हमारे देश की प्रगति के लिए शिक्षा पर जोर दिया। उनकी मुक्ति में गहरी आस्था के साथ, अम्बेडकर ने उन्हें सलाह दी: 'अपने बच्चों को शिक्षा दो'। वह पुरुषों और महिलाओं के बीच मन की खेती और आत्म-सहायता की भावना पर बल देता है। वह चाहता है कि वे यह महसूस करें कि अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षित करने के लिए उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही, उन्होंने उन्हें सलाह दी: अपने बच्चों को स्कूल भेजो। उनके लिए, शिक्षा सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है ।

अम्बेडकर का मानना है कि "शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पुरुषों के लिए। यदि आप पढ़ना-लिखना जानते हैं, तो बहुत प्रगति होगी। जैसे आप हैं, वैसे ही आपके बच्चे अपने जीवन को सदाचारी तरीके से ढालेंगे , क्योंकि पुत्र ऐसे होने चाहिए जो इस दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। वह महिलाओं को उनकी पीड़ा और आर्थिक निर्भरता से मुक्त करना चाहते थे। महिलाओं को आर्थिक अधिकार और स्वतंत्रता देने के लिए अंबेडकर ने महिलाओं के लिए शैक्षिक अधिकार, समानता और संपत्ति

के अधिकार की मांग की। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं के लिए सह-शिक्षा मांगी। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से महिलाएं स्वतंत्र रूप से सोच सकेंगी जिससे उनका बौद्धिक और मानसिक विकास होगा।

3.2अम्बेडकर और महिला अधिकार और न्याय

ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी जैसे अन्य समाज सुधारकों से अलग है, जिन्होंने पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाए बिना कुछ पुराने रीति-रिवाजों और प्रथाओं के हिंदू समाज को सुधारने की कोशिश की। लेकिन अम्बेडकर ने महिला अधिकारों के लिए अपना दृष्टिकोण बनाया और यह भारतीय संविधान में परिलक्षित हुआ है। उनका लक्ष्य सामाजिक न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना था। इस लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए, अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कई प्रावधान प्रदान करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया है। उनके अनुसार, समाज से लैंगिक भेदभाव को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए और समाज में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी देती है और यह अम्बेडकर के योगदान के कारण है। प्रस्तावना में इसका उल्लेख है: (i) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, (ii) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, (iii) स्थिति और अवसर की समानता और (iv) व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता और जाति, पंथ या लिंग के किसी भी भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय एकता।

उन्होंने न केवल अछूतों के लिए बल्कि महिलाओं की बेहतरी और प्रगति के लिए भी कड़ी मेहनत की थी। डॉ. अम्बेडकर ने पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्यों की आलोचना की। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के पतन की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया है।

महिलाओं की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने संसद में एक मुक्ति विधेयक (हिंदू कोड बिल) भी पेश किया था, जिसमें मुख्य रूप से हिंदुओं में प्रचलित विभिन्न विवाह प्रणालियों को समाप्त करने और एकमात्र कानूनी प्रणाली के रूप में मोनोगैमी स्थापित करने, संपत्ति के अधिकार और गोद लेने का प्रस्ताव दिया गया था। महिला, वैवाहिक अधिकारों की बहाली और न्यायिक अलगाव; प्रगतिशील और आधुनिक विचारों के अनुरूप हिंदू कोड को एकीकृत करने का प्रयास। उनकी चिंता केवल हिंदू महिलाओं तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने देखा कि यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी उनका वह अधिकार नहीं मिल रहा था जो उन्हें इस्लामी शरीयत के तहत प्रदान किया गया था क्योंकि वे भारतीय परिवेश से प्रभावित थीं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को तलाक के अधिकारों से वंचित करने की भी आलोचना की।उन्होंने भारतीय मुस्लिम महिलाओं की दुखद दुर्दशा पर शोक व्यक्त किया और कहा:

"किसी भी मुस्लिम लड़की में अपनी शादी को अस्वीकार करने का साहस नहीं है, हालांकि यह उसके लिए इस आधार पर खुला हो सकता है कि वह एक बच्ची थी और इसे उसके माता-पिता के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा लाया गया था। कोई भी मुस्लिम पत्नी इसे उचित नहीं समझेगी।" उसकी शादी में एक खंड दर्ज किया गया, अनुबंध ने तलाक के अधिकार को आरक्षित कर दिया। यहां तक कि उसका भाग्य भी है, 'एक बार विवाहित हमेशा विवाहित' वह विवाह-बंधन से बच नहीं सकती है, हालांकि यह कितना परेशान हो सकता है। जबकि वह अपनी शादी को अस्वीकार नहीं कर सकती, पति हमेशा कर सकता है इसे बिना कोई कारण बताए करें।

अम्बेडकर ने भारतीय मुस्लिम पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था, जिसे वे इस्लाम की वास्तविक पर्दा प्रथा के विपरीत मानते थे। उनका मत था कि पर्दा प्रथा के परिणामस्वरूप मुस्लिम महिलाओं में एक प्रकार का अलगाव पैदा हो गया है, जिसका मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक गठन पर बिगड़ता प्रभाव है, जिससे वह एक स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित हैं। पुरुषों और महिलाओं का अलगाव पुरुषों के नैतिकता पर बुरा प्रभाव डालना निश्चित है। उनका मानना था कि एक प्रणाली, अगर मूल्य पर आधारित है, तो महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक अधिकार से स्थायी रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है।

3.3संवैधानिक अधिकार और महिलाएं

भारतीय संविधान में, कुछ लेख मौजूद हैं जो भारतीय समाज की महिलाओं को उनकी स्थिति में सुधार करने और उनके पुरुष समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 - कानून की नजर में सभी समान हैं और कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित हैं। इसका अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव को सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 16 में उल्लेख है कि धर्म, जाति, पंथ और लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 39 और 39(डी) आजीविका के समान साधन और समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सीमा के भीतर सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार की गारंटी देगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 के तहत, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 - राज्य विशेष सावधानी के साथ लोगों के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। अनुच्छेद 47 - राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार आदि। अनुच्छेद 51 (ए) (सी) – महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 243D (3), 243T (3) और 243R (4) पंचायती राज व्यवस्था में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है।

दलित वर्ग और महिलाओं को दिए गए शैक्षिक अधिकार डॉ. बीआर अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान में महिलाओं और दलितवर्गों के अधिकारों को पर्याप्त रूप से शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने कानून को न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था बनाने के साधन के रूप में देखा। उन्होंने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल किया। दलित वर्ग को शिक्षा के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, विशेष प्रावधान दिए गए हैं जिनमें शामिल हैं- अनुच्छेद 30 (1) जो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(2) शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव करने से रोकता है कि यह भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 (2) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। भाषा या उनमें से कोई भी। अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्ग के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

3.4 आज का वर्तमान परिपेक्ष्य

ज्यादातर लोग साक्षर हैं लेकिन पढ़े-लिखे नहीं हैं। ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से शिक्षा ने सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया में ठहराव और वहां की महिलाओं के विकास और उत्थान को प्रभावित करके प्राचीन महिलाओं की तथाकथित दैवीय स्थिति को उन पर थोपना। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के युग में महिलाओं के सुधारों और मुक्ति से बिखरी भारतीय मानसिकता ने पुरुषों के बराबर समानता को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए महिलाओं को अपने विकास को वापस करने के लिए मजबूर किया है।

हर तरह से महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं, उस पर थोपी गई हिंसा, अपराध और अपमान का कारण केवल राजनीतिक उदासीनता है, जो सामाजिक हठधर्मिता को बनाए रखने में विफल रही। शिक्षा प्रणाली, रोजगार के अवसर, प्रचंड जनसंख्या, महंगाई और प्रयास करने के लिए संसाधनों की अनुपलब्धता लोगों के बीच विकास के लिए बाधक हैं। आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव और प्रौद्योगिकी को अपनाने का अर्थ व्यक्ति और समाज का सुधार नहीं है।

महिलाओं को अधीनस्थ या पराधीन बनाने के लिए बने सामाजिक ढाँचे को तोड़ने की जरूरत है। हर तबके की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इसे संभव बना सकती है। कई उल्लेखनीय महिला कार्यकर्ता पर्यावरण, स्वास्थ्य, गरीबी आदि जैसे मुद्दों पर काम कर रही

हैं। जो लोग सामाजिक सुधारों में शामिल हैं, उन्हें समर्थन नहीं मिला, यहां तक कि महिलाओं द्वारा भी नहीं। आज महिला आरक्षण बिल चर्चा का सबसे चर्चित एजेंडा है और सच तो यह है कि आम महिला को यह भी नहीं पता कि यह क्या है। पुरूषों का इससे भी हास्यास्पद रवैया यह है कि लड़की की शिक्षा का मतलब केवल उसकी शादी के लिए होता है। आज की नारी असुरक्षा, पुरुष प्रधानता, अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता के अभाव और निर्णय लेने की शक्ति न होने के चक्रव्यूह में फंसी हुई है।

आज महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत बात की जाती है लेकिन यह अधिक आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य संबंधी है। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दे को और ऊंचा उठाने की जरूरत है और इसे अत्यधिक महत्व देने की जरूरत है तभी यह घटना को पूरा कर सकता है। महिला सशक्तिकरण के पाँच घटक हैं: महिलाओं में आत्म-मूल्य की भावना ; विकल्प रखने और निर्धारित करने का उनका अधिकार; अवसरों और संसाधनों तक उनकी पहुंच का अधिकार; अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति रखने का उनका अधिकार; घर के भीतर और बाहर दोनों; और अधिक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिशा और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने की उनकी क्षमता। डॉ. अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं के कल्याण से महिला सशक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त बनाने की गतिविधियों को डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

4। निष्कर्ष

एक तरह से, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में अम्बेडकर की अपनी धारणा से प्रकट होता है, हिंदू या मुस्लिम एक ऐसी व्यवस्था थी जहां महिलाओं को विभिन्न तरीकों से समाज में उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। वह उनकी दुष्ट व्यवस्थाओं के समाधान की तलाश में थे और समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज की शुरुआत करने की मांग कर रहे थे। हालांकि महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य अभी हासिल किया जाना बाकी है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और विकास के बारे में डॉ. अम्बेडकर के विचार अभी भी वर्तमान परिदृश्य में मान्य हैं - न केवल भारतमें, बल्कि वैश्विक संदर्भ में भी।

डॉ. अम्बेडकर का तीन शब्दों का सूत्र- 'शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित हो' आज भी सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। अम्बेडकर ने दलित वर्गों के उत्पीड़ित वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जो उन्हें सदियों से वंचित रखा गया था। उन्होंने सोचा कि दलित लोगों को शिक्षित करना उनमें चेतना, आत्म-सम्मान और गरिमा की भावना पैदा करने का एक निश्चित तरीका था। वह चाहते थे कि लोग आपस में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को विकसित करें; यह शिक्षा से ही संभव था। यह बदले में एक प्रबुद्ध राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में उनके प्रगतिशील आत्मसात करने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक आधार प्रदान करेगा।

डॉ अंबेडकर ज्ञान और चरित्र के प्रतीक थे। उन्होंने शिक्षा को अंधकार और अज्ञान के क्षेत्रों को दूर करने के लिए प्रकाश और धारणा के द्वार तक पहुँचने के साधन के रूप में माना। उन्होंने शिक्षा के अपने दर्शन का उपयोग समाज के निचले तबके के बीच हिंदू समाज में सामाजिक पतन की स्थिति से अवगत कराने और संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए किया। अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वह सभी के शैक्षिक विकास के लिए प्रयासरत हैं। वे वास्तविक अर्थों में एक 'ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी' थे। डॉ. अम्बेडकर का शिक्षा के प्रति योगदान और उनकी स्वतंत्र सोच ने उन्हें दुनिया का एक स्वतंत्र बुद्धिजीवी बना दिया। उन्होंने शिक्षा के अपने स्वयं के दर्शन को प्रतिपादित किया और दलितों के दृष्टिकोण को काफी हद तक प्रभावित किया। उनके शानदार अकादमिक करियर का सम्मान करने के लिए उनकी प्रतिमा को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रवेश द्वार पर रखा गया है और उसके नीचे "सिंबल ऑफ नॉलेज" लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि कैसे उन्हें एक महान छात्र और उत्कृष्ट शिक्षाविद् के रूप में सराहा गया। शिक्षा पर डॉ. अम्बेडकर के विचार और उनका शैक्षिक दर्शन हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए 21वीं सदी में आज भी प्रासंगिक है।

"जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है।" – डॉ. बीआर अंबेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री।

संदर्भ

1. सिंगरिया , एमआर 2014। "डॉ बीआर अंबेडकर और भारत में महिला अधिकारिता", क्रेस्ट जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, वॉल्यूम 2 ~ अंक 1।

2. बरनवाल , बिजय के. 2014. "डॉ. बीआर अंबेडकर की लैंगिक समानता की खोज, समकालीन नारीवादी प्रवचन में इसकी प्रासंगिकता", ऑनलाइन इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, {द्वि-मासिक}, खंड- IV, अंक- II, मार्च-अप्रैल 2014

3. मोर, डॉ. विजय जी. 2011. "डॉ. बीआर अम्बेडकर का महिलाओं के अधिकारों में योगदान", वेरियोरम, बहु-अनुशासनात्मक ई-रिसर्च जर्नल वॉल्यूम -02, अंक- I, अगस्त 2011

4. धनविजय , सुश्री वैशाली। 2012. "डॉ। महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति के लिए बाबासाहेब अम्बेडकर के प्रयास", इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल (EIIRJ), (द्वि-मासिक), वॉल्यूम- I, अंक II, अप्रैल 2012

5. शशि, एसएस, (संपादक)। 1992. "अम्बेडकर एंड सोशल जस्टिस-वॉल्यूम II", निदेशक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 1992